अनुसूची – एक

(नियम 3 (1) देखिए)

निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र निजी वन तथा लोक वन के लिए प्रबंधन योजना का मानक प्रारूप

भाग – एक

उद्देश्य–संबंधित भू–भाग (ट्रेक्ट)तथा फसल

अध्याय–1 : प्रबंधन योजना के उद्देश्य

अध्याय–2 : ग्राम का परिचय

अध्याय–3 : निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र/निजी वन/लोक वन का परिचय

(भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

3.1 सामान्य

3.2 भूमिस्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम/पिता/पति का नाम

3.3 प्रवर्ग (सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)

3.4 भूमि स्वामी का डाक का पूरा पता

3.5 भूमि स्वामी की आर्थिक प्रास्थिति (केवल निजी क्षेत्रों के मामले में)
(कृषि, पशु, आय इत्यादि के ब्यौरे)

3.6 पटवारी हल्का क्र./खसरा क्र.

3.7 राजस्व निरीक्षण वृत्त (सर्किल)/तहसील

3.8 खसरा की अवस्थिति

3.9 क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

3.10 सीमाएं एवं सीमांकन प्रास्थिति

3.11 स्वामित्व की विधिक प्रास्थिति (राजस्व विभाग के खसरा पांच साला के अनुसार)

3.12 विगत 10 वर्षो से खसरे के स्वामित्व के ब्यौरे

3.13 क्या पैतृ क सम्पत्ति के रूप में अर्जित की गई या क्रय की कई

3.14 टोपोग्राफी (विशेष रूप से 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र)

3.15 मिट्टी का प्रकार एवं गहराई

3.16 खसरे से निकटतम शासकीय वन की दूरी तथा उसके ब्यौरे {प्रकार (टाइप), कम्पार्टमेंट क्र./बीट आदि} (क्या खाते की सीमा शासकीय वन/अन्य निजी वन/वृक्ष आच्छादित क्षेत्र से लगी हुई है)

3.17 भू–भाग में जल की उपलब्धता

अध्याय–4 : फसल का विवरण

4.1 फसल का प्र कार

4.2 स्थल गुणवत्ता

4.3 फसल घनत्व

4.4 फसल का आयु वर्ग

4.5 निम्नलिखित स्टाक

(क) टॉप केनोपी (ख) मिडिल स्टोरी (ग) ग्राउण्ड फ्लोरा

(घ) बेल (क्लाइम्बर) (ड.) घास (च) औषधीय पौधे

(छ) घास–पात (ज) गैर काष्ठ वनोपज (एन.टी.एफ.पी.) (झ) बांस

4.6 स्टाक मानचित्र (पटवारी के नक्शे पर)

(वनस्पति प्रकार / स्थल गुणवत्ता, घनत्व, आयु वर्ग, रिक्त क्षेत्र आदि)

4.7 प्राकृतिक वन / रोपण (सामान्य विवरण एवं वर्तमान प्रास्थिति)

4.8 भू–भाग (ट्रेक्ट) का वर्णन

(क) पूर्व की कटाई / रोपण (ख) पूर्व की संक्रियाओं का परिणाम

4.9 जैव विविधता की उपलब्धता

4.10 क्षति, जिसके लिये फसल दायी हैं

अध्याय–5 : फसल का विश्लेषण तथा मूल्यांकन

5.1 वृक्षों की प्रजातिवार संख्या, आयतन (वाल्यूम) एवं उसका मूल्य (संसाधन निर्धारण आंकलन अभिलेख की संक्षिप्ति)

5.2 पुनरूत्पादन सर्वेक्षण का परिणाम

5.3 बांस एवं घास की उपलब्धता

5.4 गैर काष्ठ वनोपज (एन.टी.एफ.पी.) / औषधीय पौधों की उपलब्धता

5.5 फार्म फैक्टर

5.6 संवृद्धि दर

5.7 विपणन रूपरेखा

5.8 बाजार मूल्य

भाग – दो

प्रस्तावों का सारांश

अध्याय–1–भविष्य के प्रबंधन हेतु स्कीम

1.1 प्रबंधन प्रस्ताव

1.2 उपचार विधान

1.3 पातन चक्र / रोटेशन

1.4 सिलेक्शन गर्थ

1.5 उपचार वर्ग का अवधारणा एवं उपचार मानचित्र

1.6 पातन नियम / अन्य उपचार के लिए नियम

(क) वृक्ष (ख) ग्रीन फ्लोरा (ग) प्राकृतिक बांस

1.7 वार्षिक प्राप्ति की गणना

अध्याय–2–कटाई

2.1 कटाई योजना

(क) इमारती लकड़ी (टिम्बर) (ख) ईधन की लकड़ी (ग) बांस

(घ) औषधीय पौधे (ड.) घास (च) एन.टी.एफ.पी. (छ) अन्य

2.2 वनोपज का अनुकूलन, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण

2.4 वनोपज के निवर्तन की प्रस्तावित पद्धति

(क) इमारती लकड़ी (टिम्बर) (ख) ईधन की लकड़ी (ग) बांस

(घ) घास (ड.) औषधीय पौधे (च) एन.टी.एफ.पी. (छ) अन्य

2.5 सहायक वन वर्धन संक्रियाएं

2.6 विरलन

2.7 काट–छांट

2.8 मृत वृक्षों, आंधी से उखड़े वृक्षों की कटाई

अध्याय–3–रोपण

3.1 खाली स्थानों में रोपण (गैप प्लान्टिंग)

3.2 सागौन रोपण

3.3 बांस रोपण

3.4 अन्य प्रजातियों का रोपण

अध्याय–4–सुरक्षा एंव सुधार के उपयोग

4.1 चराई से सुरक्षा

4.2 अग्नि सुरक्षा

4.3 अन्य

4.4 जैव विविधता संरक्षण

अध्याय–5–अनुमानित औसत वार्षि क व्यय तथा आय

अध्याय–6–अभिलेख चिन्हांकित करने (फार्मेट) कटाई संबंधी रजिस्टर का प्ररूप फार्मेट (नियम 4 (4) देखिए)

अध्याय–7–प्रबंधन योजना क्रियान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (नियम 5 देखिए)

अध्याय–8–यो जना क्षेत्र के शासकीय वन से लगे होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाये गये रक्षोपाय

प्रबंधन योजना से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हों।
2. भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
3. सीमांकन प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो
4. स्टाक मानचित्र
5. भूमिस्वामी की लिखित सहमति (संयुक्त खाते की दशा में समस्त भागीदारों की सहमति)
6. सर्वे के परिणाम/निर्धारण रिर्पोट, यदि कोई हों।

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

(नियम 3 (8) देखिए)

(प्ररूप 3 के साथ पठित)

(क) शर्ते/निबन्धन, जिनके अध्यधीन यह योजना अनुमोदित की जा रही है

1. प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम 2011 के नियम 4 तथा राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार किया जाएगा, भूमि स्वामी को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित यो जना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व इन उपबंधों को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ ले ं।

2. योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धातों और कार्यपालिक अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी.

3. क्षेत्र का प्रबंधन, योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि क0 उपयोग के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) दशाएं, जिनमे ं यह मंजूरी रद्‌द की जा सकेगी :

1. उपरोक्त (क) में वर्णित किन्ही शर्तों/निर्बन्धनों का उल्लंघन

2. ....

(सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी बिन्दु,, जो आवश्यक हो)

3. ....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय,

(यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाईप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबंध किया जाना है।)

1. इस प्रबंधन येाजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होनेवाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार भूमि स्वामी पर होगा। (उसे इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज उसके खसरे से उठाई जा रही है वह इस योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटकर गिराये गये वृक्षों की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है)।

2. यदि क्षेत्र की सीमा का भाग, शासकीय वन से संलग्न है तो भूमिस्वामी उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगा. यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखाओं या वृक्षों पर लगाए गए कोलतार के पट्‌टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो वह संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा. राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उसके खातों पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाये गये ऐसे किन्हीं चिन्हों को भी वह सही दशा में बनाये रखेगा।

3. मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 4 के उपनियम (8) की ओर विशेष ध्यान

आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानु सार है ''प्रबंधन योजना में विहित किये गये समस्त प्रचालन विशिष्ट समय के भीतर पूर्ण किये जायेंगे। यदि योजना में विहित किये गये कोई प्रचालन का कार्यान्वयन किन्हीं अकल्पित कारणों से पूरा नही किया जा सकता है तो योजना के आगे का कार्यान्वयन, ऐसे समय तक जब तक पूर्व के वर्षो के लिये विहित प्रचालन पूर्ण नही हो जाता, विलंबित रहेगा।''

पृष्ठांकन क्र............................ दिनांक.............................

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को अग्रेषित :–

1. जिला कलेक्टर,..जिला की ओर मध्यप्रदेश की लो क वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 4 (8) के पालन के लिए,
2. श्री...(भूमिस्वामी का नाम)
3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल.

सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर,

अनुसूची – तीन

(नियम 3 (8) देखिए)

(प्ररूप 4 के साथ पठित)

(क) शर्ते / निबन्धन, जिनके अध्यधीन यह प्रबंधन योजना अनुमोदित की जा रही है

(1) लोक वन के लिए प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम, 2011 के नियम 4 तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार किया जाएगा. ग्राम पंचायत/गाम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व इन उपबंधो को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ ले ं.

(2) प्रबंधन येाजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धातों और कार्य पालिक अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी।

(3) क्षेत्र का प्रबंध, प्रबंधन योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि के उपयोग के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) दशाएं, जिनमे ं यह अनुमोदन रद्‌द किया जा सकेगा :

(1) उपरोक्त (क) में वर्णित किन्ही शर्तों / निर्बन्धनों का उल्लंघन.

(2) ....

(सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी विन्दु, जो आवश्यक हो)

(3) ....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय, –

(यदि प्र स्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाइप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबंध किया जाना है)।

(1) इस प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा पर होगा. (संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज लोकवन से उठाई जा रही है वह इस प्रबंधन योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटे गये वृक्ष की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है)।

(2) यदि क्षेत्र की सीमा का भाग, शासकीय वन से सटा हुआ है तो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगी. यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखा या वृक्षों पर लगाए गए कोलतार के पट्‌टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि, संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा. संबंधित ग्रग्राम पंचायत / ग्राम सभा, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खाते पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाए गए ऐसे किन्ही चिन्हों को भी सही दिशा में बनाए रखेगीं।

(3) मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम 2002 के नियम 4 के उपनियम (8) की ओर विशेष ध्यान आकर्षित

किया जाता है, जो निम्नानुसार है ''प्रबंधन योजना में विहित किये गये समस्त प्रचालन विशिष्ट समय के भीतर पूर्ण किये जायेंगे। यदि योजना में विहित किये गये कोई प्रचालन का कार्यान्वयन किन्हीं अकल्पित कारणों से पूरा नही किया जा सकता है तो योजना के आगे का कार्यान्वयन, ऐसे समय तक जब तक पूर्व के वर्षो के लिये विहित प्रचालन पूर्ण नही हो जाता, विलंबित रहेगा।''.

पृष्ठांकन क्र.. दिनांक......................................

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अग्रेषित :–

1. जिला कलेक्टर......................जिला की ओर मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 (8) के पालन के लिए,

2. श्री...(ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल.

सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर,

प्ररूप – 1

(नियम 3 (1) देखिए)

किसी भूमिस्वामी क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना के मंजूरी हेतु

आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जावे)

1. आवेदक का नाम...
2. पिता/पति का नाम..
3. डाक का वर्तमान पता...
4. तहसील...राजस्व उपखण्ड.......................................
5. पुलिस थाना..
6. जिला...
7. खसरे का ब्यौरा, जिसके लिए योजना तैयार की गई है :

अनु क्र.	ग्राम/पटवारी हलका क्र. / खसरा क्र. तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	खसरे का/के स्वामी	लगे हुए सर्वे क्रमांक के ब्यौरे
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					उत्तर– पूर्व– पश्चिम– दक्षिण –

8. ग्राम सभा का नाम, जिसमें खसरा स्थित है..
9. ग्राम पंचायत का नाम, जिसमें खसरा स्थित है...
10. योजना तैयार करने वाले का ब्यौरा (पूरा नाम व पूरा पता)
11. योजना तैयार करने की तारीख –

(क) प्रारंभ की तारीख..(ख) पूर्ण होने की तारीख............................

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी...एतद्द्वारा, मेरे उक्त खसरा (पैरा 7 में उपदर्शित) के लिए

लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन योजना को मंजूर करने के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जा रही प्रबंधन योजना मेरे द्वारा योजना तैयार करने वाले को जिसका नाम पैरा 10 में उपदर्शित किया गया है, दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है, मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यो जना से संलग्न किये गये दस्तावेज, भूमि तथा उस पर खड़े वृक्षों पर मेरे विधिक स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियां है, मैने व्यक्तिगत रूप से स्वयं का समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबंधन योजना, इस आवेदन पत्र के पैरा 7 में उल्लिखित क्षेत्र को ही लागू होती है तथा इसमें ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जिसका मेरे विधिक कब्जे से बाहर निकटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव हो।

इस आवेदन पत्र के माध्यम से मैं यह भी वचन देता हूँ कि उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रबंधन योजना मंजूर की जाएगी ।

साक्षी : (पूरा नाम तथा पता सहित)

1...

2...

भूमिस्वामी का नाम तथा हस्ताक्षर,

तारीख ....

स्थान ....

टीप : यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा.

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा लगाने तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के बाद आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियां सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी. इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले संसूचना–पत्र से संलग्न की जाएगी।

प्ररूप – 2

(नियम 3 (2) देखिए)

लोक वन के लिए तैयार की गई प्रबंधन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

1. ग्राम पंचायत / ग्राम सभा का नाम, जिसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है...............
....जनपद पंचायत, जिसमें स्थित है,.......................................

2. आवेदक का नाम और पद..

3. पिता /पति का नाम..

4. डाक का वर्तमान पता...

5. तहसील...राजस्व उपखण्ड.....................................

6. पुलिस थाना...जिला...

7. राजस्व भूमि के ब्यौरे, जिसके लिए योजना बनाई गई है–

अनु क्र.	ग्राम/पटवारी हलका क्र. / खसरा क्र. तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	लगे हुए सर्वे क्रमांक के ब्यौरे	अन्य कोई ब्यौरे
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				उत्तर– पूर्व– पश्चिम– दक्षिण –	

8. जिला कलेक्टर का आदेश क्रमांक तथा दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र, लोक वन के रूप में प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत /ग्राम सभा को सौंपा गया :..

9. ग्राम पंचायत / ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के ब्यौरे, जिसके द्वारा आवेदक को उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है...

10. योजना तैयार करने वाले का ब्यौरा :– (पूरा नाम व पूरा पता)

11. योजना तैयार करने की तारीख–

(क) प्रारंभ हो ने की तारीख..(ख) पूर्ण होने की तारीख.............

मैं..पुत्र / पुत्री/ पत्नी श्री.................................निवासी.............
....ग्राम
पंचायत / ग्राम सभा..द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में उसकी ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नाम निर्देशित किया गया हूॅ एतद्द्वारा, लोक वन के रूप में प्रबंधन किए जाने के लिए प्रस्तावित राजस्व क्षेत्र (पैरा 7 में उपदर्शित) के लिए लोक वानिकी अधिनियम 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई वैज्ञानिक प्रबंधन योजना के अनुमोदन के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूॅ।

मैं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा...की ओर से प्रमाणित करता हूॅ कि इस आवेदन पत्र के पैरा 7 में दर्शाया गया क्षेत्र लो क वन के रूप में प्रबं धन हेतु जिला कलेक्टर द्वारा पूरी तरह सीमांकित कराया जाकर ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सौप दिया गया है।

मैं ग्राम पंचायत/ग्राम सभा..की ओर से यह भी प्रमाणित करता हूॅ कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही प्रबंधन योजना तैयार करने वाले को, जिसका नाम पैरा क्रमांक 10 में उल्लिखित है, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूॅ कि यो जना से संलग्न किए गए दस्तावेज, भूमि के तथा उस पर खड़े वृक्षों के विधिक स्वामित्व के मूल दस्तावे जों की सत्य प्रतियां है। मैने स्वयं का व्यक्तिगत रूप से समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबंधन योजना इस आवेदन पत्र के पैरा 7 में उल्लिखित क्षेत्र पर ही लागू होगी तथा इसमें ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जिसका प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ता हो।

इस आवेदन पत्र के माध्यम से मै यह भी वचन देता हूॅ कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा.......
....की ओर से कार्य करते हुए उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए योजना अनुमोदित की जाएगी।

साक्षी (पूरा नाम तथा पता सहित)

1..

2..

ग्राम पंचायत /ग्राम सभा के प्राधिकृत का नाम तथा हस्ताक्षर,

तारीख..

स्थान...   (ग्राम सभा की सील)

टीप :– यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा :–

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएंगी, इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन, जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले सूचना पत्र से संलग्न की जाएगी।

प्ररूप – 3

(नियम 3 (8) देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का आदेश (भूमि स्वामी क्षेत्र के लिए)

आदेश क्र... दिनांक................

कार्यालय मुद्रा

श्री / श्रीमती...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. निवासी...द्वारा उनके खाते के लिए प्रबंधन योजना के मंजूरी के संबंध मे ं आवेदन पत्र दिनांक...के संदर्भ मे ं निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है।

आवेदक की...जिले के राजस्व उपखण्ड...............................की तहसील.......................................के ग्राम...के खसरा क्रमांक..................................के लिए प्रबंधन योजना, एतद्द्वारा, दिनांक...से प्रारंभ और.................................को समाप्त होने वाले..वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची–दो में संगणित शतो ं और निर्बन्धनों के अध्यधीन अनुमोदित की जाती है.

इस अनुमोदित प्रबंधन यो जना का क्रियान्वयन..द्वारा मानीटर किया जाएगा.

तारीख :

स्थान :

सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर,

प्ररूप – 4

(नियम 3 (8) देखिए)

लोक वन के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश

आदेश क्र............................ दिनांक..................

कार्यालय की मुद्रा

............................ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की ओर से श्री/श्रीमती...
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी...द्वारा लोक वन के रूप में प्रबंधन किए जाने वाले राजस्व क्षेत्र हेतु प्रबंधन योजना की मंजूरी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक..के संदर्भ में निम्नलिखित विनिश्चित किया गया है :

आवेदक की ....जिले के राजस्व उपखण्ड...................................की तहसील..
....................................के ग्राम......................................के सर्वे क्रमांक........................के लिए प्रबंधन योजना, दिनांक..से प्रारंभ और दिनांक...को समाप्त होने वाले................
....................................वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची तीन में संगणित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन एतद्द्वारा मंजूर की जाती है।

इस मंजूर की गयी प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन...द्वारा मानीटर किया जाएगा।

तारीख :

स्थान :

सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर,